

न्यायाधीश एस.एस. निज्जर, और एस.एस. सरोन, के समक्ष  
मेजर जनरल एस.पी.एस. वैन्स (रिटायर्ड) और अन्य — याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ और अन्य, — उत्तरदाताओं

C.W.P. 17233 सन् 2001

26 मई 2005

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — याचिकाकर्ता मेजर जनरल की रैंक से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए। 4 वें वेतन आयोग के तहत मेजर जनरल में एक ब्रिगेडियर की तुलना में अधिक वेतन ले रहे थे जिसमें ब्रिगेडियर की दी हुई रैंक पेय भी शामिल थी। — 5 वें वेतन आयोग में, एक ब्रिगेडियर जो अधिकारी मेजर जनरल रैंक से रिटायर हुए हैं उनसे ज़्यादा पेंशन और फ्रैमिली पेंशन ले रहे थे। — सरकार मेजर जनरल की पेंशन को सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर के बराबर लाएगी — मेजर जनरल ब्रिगेडियर की प्रमोशनल रैंक है — मेजर जनरल की पेंशन ब्रिगेडियर के बराबर नहीं किया जा सकता है — प्रमोशन के बाद मेजर जनरल के पद से ब्रिगेडियर के पद पर, मेजर जनरल की प्रारंभिक वेतन ब्रिगेडियर के रैंक पे को एक इंक्रीमेंट बढ़ाकर प्रासंगिक स्तर पर वेतन नोशनली बढ़ाने के द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जो 1 जनवरी, 1996 के बाद के सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए संबंधित स्तर पर संशोधित स्केल में एक इंक्रीमेंट के साथ उनके वेतन को बढ़ाने के द्वारा प्राप्त किया गया है। प्रतिक्रिया: प्राथमिक जनवरी 1996 से पहले के सेवानिवृत्त मेजर जनरलों को इसी लाभ को न देने की

प्रतिक्रिया अनियमित है - प्राथमिक जनवरी 1996 से पहले के मेजर जनरल सेवानिवृत्त भी एक ब्रिगेडियर से अधिक वेतन और पेंशन के हकदार हैं - याचिका स्वीकृत की गई है और प्रतिक्रियाओं को निर्देशित किया गया है कि मेजर जनरल की न्यूनतम वेतनमान को ब्रिगेडियर से ऊपर तय किया जाए और प्राथमिक जनवरी 1996 के बाद के सेवानिवृत्तों को दिए गए ब्रिगेडियर के वेतन से ऊपर का वेतन भी प्रदान किया जाए। —

अभिनिर्णित , फंडामेंटल रूल 22(1)(a) (1) के अनुसार, कर्मचारी द्वारा धारित पद से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य और जिम्मेदारियों वाले दूसरे पद में पदोन्नति के संदर्भ में, उसकी प्रारंभिक वेतन को उच्चतर पद के समय-मानचित्र में नोशनल वेतन से बढ़ाकर निर्धारित किया जाना है, जो उसके द्वारा धारित नियमित रूप से कमाए गए वेतन को एक इंक्रीमेंट के स्तर पर बढ़ाकर प्राप्त हुआ होता है या जो रुपये 100 से अधिक होता है। मान्यता से मेजर जनरल का रैंक एक पद है जिसमें ब्रिगेडियर के पद से अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ संलग्न होती हैं। इसलिए, उच्च पद के समय-स्केल में प्रारंभिक वेतन को उन अधिकारियों के वेतन को बढ़ाकर नोशनली वेतन से निर्धारित स्तर पर निर्धारित किया जाना चाहिए, जो मेजर जनरल के रैंक वाले अधिकारियों के वेतन को नियमित रूप से उनके द्वारा धारण किए जाने वाले निम्न पद के संबंध में एक इंक्रीमेंट के साथ उनके वेतन को बढ़ाने के द्वारा प्राप्त हुआ हो या रु. 100, जो भी अधिक

हो।

मेजर जनरल. S.P.S. वेन्स (सेवानिवृत्त) और अन्य वी. भारत संघ 81

और अन्य (एस.एस. सरोन, जे।)

---

(पैरा 12)

आगे अभिनिर्णित, 26 मई, 1987 की निर्देशों के अनुसार अनुच्छेद 9 का शीर्षक बताता है कि 1 जनवरी, 1996 के बाद ब्रिगेडियर से मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति पर मेजर जनरल के वेतन को बढ़ाया जाएगा, हालांकि खुद अनुच्छेद कहता है कि 1 जनवरी, 1996 से पहले मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों के वेतन को 1 जनवरी, 1996 के रिवाइज्ड पे स्केल में ब्रिगेडियर के लिए निर्धारित वेतन तक बढ़ाया जाएगा। क्लॉज 12(c) वह धारा III के अंतर्गत है जो "1 जनवरी, 1996 के बाद या उसके बाद आदेशित अधिकारियों के वेतन को नियमित करने" की प्रावधाना करती है। क्लॉज 9 धारा II के अंतर्गत आता है जो "1 जनवरी, 1996 से पहले आदेशित अधिकारियों के वेतन को निर्धारण और नियमित करने" की प्रावधाना करती है इसलिए, खंड 9 के ऊपर मुख्य टिप्पणी 1 जनवरी, 1996 के बाद ब्रिगेडियर से पदोन्नति पर मेजर जनरल के वेतन में वृद्धि से संबंधित है। इसलिए 1 जनवरी, 1996 से पहले मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किए गए सभी अधिकारियों के वेतन को 1 जनवरी, 1996 को वेतन के संशोधित पैमाने में ब्रिगेडियर के लिए निर्धारित वेतन के बराबर बढ़ाया जाना है। कुछ शर्तों को पूरा करना। इसके अलावा मेजर जनरल के वेतनमान को ब्रिगेडियर के रूप में रैंक वेतन सहित संबंधित स्तर पर संशोधित पैमाने में एक वृद्धि द्वारा उनके वेतन में वृद्धि करके अनुमानित रूप से प्राप्त वेतन से ऊपर के स्तर पर तय किया जाना

है। यह मौलिक नियम 22 (I) (a) के अनुरूप है और इसका अनुप्रयोग है।(I).  
अन्यथा भी मामले की परिस्थितियों में 1 जनवरी, 1996 से पहले और बाद में  
मेजर जनरल का पद धारण करने वाले अधिकारियों के लिए 1 जनवरी, 1996  
की कट ऑफ तिथि उचित नहीं है और मनमाना है।

(पैरा 12)

आगे अभिनिर्णित, जब 1 जनवरी, 1996 से पूर्व और 1 जनवरी, 1996 के  
पश्चात् सेवानिवृत्त होने वालों के लिए वेतनमान नियत किया गया है तो मेजर  
जनरल का वेतनमान पेंशन नियत करने के प्रयोजन से ब्रिगेडियर के वेतनमान के  
बराबर नहीं हो सकता और न ही होना चाहिए और ब्रिगेडियर को मेजर जनरल के  
वेतनमान से अधिक वेतनमान दिया गया है तो मेजर जनरल को केवल ब्रिगेडियर  
के वेतनमान के बराबर वेतनमान बढ़ाकर ब्रिगेडियर के बराबर नहीं किया जा  
सकता है और उसे मौलिक नियम 22 (I) (a) (I) में सिद्धांत लागू करके ब्रिगेडियर  
के वेतनमान से ऊपर का वेतनमान दिया जाना है जो सेवानिवृत्ति की तारीख के  
बावजूद लागू होता है और ब्रिगेडियर के पद से संलग्न होने की तुलना में अधिक  
महत्व के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को वहन करने वाले पद पर लागू होता है।  
इसलिए, ब्रिगेडियर के पद से मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति पर मेजर जनरल  
का प्रारंभिक वेतन ब्रिगेडियर के रूप में रैंक वेतन सहित उसके वेतन में एक वृद्धि  
करके अनुमानित रूप से प्राप्त वेतन से अगले स्तर पर तय किया जाना है। 1  
जनवरी, 1996 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को समान लाभ नहीं देना मनमाना  
होगा।

आर.एस. रंधावा, एडवोकेट, याचिकाकर्ताओं के लिए.

गुरप्रीत सिंह, अतिरिक्त केंद्र सरकार स्थायी भारत संघ के लिए  
वकील.

## निर्णय

### न्यायाधीश एस.एस. सरों ,

(1) याचिकाकर्ता भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं और उनमें से एक भारतीय वायु सेना से सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल हैं। वे 1978 से 1996 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए। वे पांचवें वेतन आयोग द्वारा संशोधन के बाद अपनी पेंशन और पारिवारिक पेंशन के निर्धारण के खिलाफ व्यथित हैं। उनकी पेंशन और पारिवारिक पेंशन के संशोधन के परिणामस्वरूप, इसे ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारियों के बराबर निर्धारित किया गया है और कुछ मामलों में वे ब्रिगेडियर रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की तुलना में कम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए, याचिकाकर्ताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस याचिका के माध्यम से मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त होने वाले याचिकाकर्ताओं के संबंध में पेंशन और पारिवारिक पेंशन तय करने में विसंगति को दूर करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने का निर्देश देने की मांग की है क्योंकि वे ब्रिगेडियर के पद से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की तुलना में समान और कुछ मामलों में कम पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, जो मेजर जनरल के पद से कम रैंक है।

(2) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि 1986 में चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर के पद के लिए एक रनिंग पे

बैंड पेश किया गया था। यह रैंक वेतन को छोड़कर विभिन्न रैंकों पर अर्जित पदोन्नति पर निर्भर नहीं करता था जो प्रत्येक रैंक के साथ भिन्न होता था। लेफ्टिनेंट टू ब्रिगेडियर द्वारा चौथे वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर शुरू किया गया रनिंग पे बैंड रु। 2,300-100-3,900-EB-150-4,500-EB-5,10Q. जो रैंक वेतन तय किया गया था वह रु। कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट के पद के लिए 200,600,800,1,000 और 1,200। कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर क्रमशः। मेजर जनरल को रुपये का शुरुआती वेतन दिया गया था। 6, 700 चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर। हालांकि, एक ब्रिगेडियर रुपये निकाल सकता था। 6, 300 (i.e. एक लाख रु. 5, 100 + रैंक वेतन रु। 1, 200) इस तरह से, एक मेजर जनरल हमेशा एक ब्रिगेडियर की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करता है। वास्तव में, कोई भी ब्रिगेडियर कभी भी रैंक वेतन को शामिल करके भी मेजर जनरल से अधिक आकर्षित नहीं कर सकता था। चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अधिकारियों के पेंशन वेतन की गणना सेवानिवृत्ति से पहले पिछले दस महीनों के दौरान प्राप्त वेतन के आधार पर की गई थी। इस आधार पर एक मेजर जनरल हमेशा एक ब्रिगेडियर की तुलना में अधिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन प्राप्त करता था। यह कहा गया है कि इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि मेजर जनरल का पद ब्रिगेडियर से पदोन्नत रैंक है और अन्यथा इसमें बहुत अधिक विविध और भारी जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। यह प्रणाली उस परिवर्तन तक जारी रही जिसे अब पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर पेश किया गया है जिन्हें सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है। पाँचवें वेतन आयोग की

सिफारिशों को स्वीकार करने के कारण ही मेजर जनरल की तुलना में ब्रिगेडियर के वेतन के निर्धारण में विसंगति हुई है। ब्रिगेडियर अब मेजर जनरलों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप उनकी पेंशन और पारिवारिक पेंशन भी मेजर जनरलों की तुलना में अधिक तय की गई है। पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, एक ब्रिगेडियर को एक लाख रुपये का वेतनमान दिया गया है। 15,350-450-17,600 और रैंक वेतन रु। 2, 400। मेजर जनरल के पद के लिए अनुशंसित समकक्ष रुपये का पैमाना है। 18,400-500-22,400। इसलिए, ब्रिगेडियर का अधिकतम पैमाना रु। 17, 600 और मेजर जनरल का न्यूनतम वेतनमान रु। 18, 400। हालांकि, ब्रिगेडियर को रुपये के रैंक वेतन का भुगतान करने की सिफारिश की गई थी। 2, 400 जो किसी मेजर जनरल को नहीं दिए गए थे। ब्रिगेडियर के वेतनमान में रैंक वेतन जोड़ने से, देय पेंशन अधिक हो जाती है क्योंकि पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गणना के लिए रैंक वेतन को ध्यान में रखा जाता है। रैंक वेतन को जोड़कर, यह कहा जाता है कि एक ब्रिगेडियर जिसे वास्तव में एक मेजर जनरल की तुलना में कम वेतन लेना था, उसे अधिक मिलता है। हालांकि, सरकार ने अन्य सभी रैंकों के पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रिगेडियरों के मामले में पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के बजाय 5 लाख रुपये के वेतनमान को मंजूरी दे दी। 16,700-450-18050 + रैंक पे या रु। 2, 400। इस तरह, ब्रिगेडियर को मिलने वाला न्यूनतम वेतन रु। 16, 700 रुपये के स्केल प्लस रैंक वेतन का न्यूनतम है। 2, 400 i.e. एक लाख रु. 19, 100। इसलिए, यह अभी भी



एक मेजर जनरल के न्यूनतम वेतनमान से अधिक था जो न्यूनतम रु। 18, 400 बिना किसी रैंक के वेतन के। यह कहा जाता है कि इसके परिणामस्वरूप विसंगति हुई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक ब्रिगेडियर जिसे मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा, इस तरह से उसे ब्रिगेडियर के रूप में मिलने वाले वेतन से कम वेतन मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि मेजर जनरल के रूप में पदोन्नति पर वह रुपये के रैंक वेतन का हकदार नहीं होगा। 2, 400। यह स्थिति पैदा नहीं होती अगर ब्रिगेडियर के पद के संबंध में पांचवें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित पैमाने को नहीं बदला जाता। इस विसंगति का प्रभाव यह है कि एक ब्रिगेडियर को मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों की तुलना में अधिक पेंशन और पारिवारिक पेंशन मिलती है। इस विचार पर विचार करने की कोशिश की गई है लेकिन इस पर उचित विचार नहीं किया गया है। 13 अक्टूबर, 1997 के प्रस्ताव की प्रतियां, जिनके आधार पर सरकार द्वारा वेतनमान की सिफारिश की गई है, अनुलग्नक-पी-2 के रूप में संलग्न की गई हैं। पांचवें वेतन आयोग की एक अन्य सिफारिश जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, वह विभिन्न अधिकारियों और जवानों को देय पेंशन और पारिवारिक पेंशन के संबंध में है। दिनांक 7 जून, 1999 (अनुलग्नक-पी-3) के निर्देशों के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी, 1996 से सभी सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों की पेंशन उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद पेंशनभोगियों द्वारा रखे गए रैंक और रैंक और समूह (पीबीओआर के मामले में) के संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी। उसी का प्रभाव यह है कि सभी अधिकारी अपनी

सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद समान पेंशन प्राप्त करेंगे, हालांकि, वेतन के संशोधित पैमाने में न्यूनतम वेतनमान के 50% से कम नहीं होना चाहिए। ब्रिगेडियरों का वेतनमान इस तरह से तय किया गया है कि वे मेजर जनरलों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त करें। सरकार ने इन विसंगतियों और विसंगतियों को किसी तरह कम करने के लिए मेजर जनरल की पेंशन को एक लाख रुपये से बढ़ा दिया। 9, 200 से रु। 9, 550। इसके परिणामस्वरूप मेजर जनरल और ब्रिगेडियर की पेंशन को समान कर दिया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं, जो मेजर जनरल के पद पर हैं, की शिकायत है कि मेजर जनरल का पद ब्रिगेडियर की तुलना में उच्च पद है और दोनों रैंक के लिए पेंशन समान नहीं हो सकती है। इस रिट याचिका में इन विसंगतियों और विसंगतियों का उल्लेख किया गया है।

(3) नोटिस पर, उत्तरदाताओं की ओर से रक्षा मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा लिखित बयान दायर किया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय के असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र को लागू करने के हकदार नहीं हैं। इसके अलावा, किसी भी मामले में मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की पेंशन ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी से कम तय नहीं की गई है। यह भी कहा गया है कि पांचवें वेतन आयोग ने पिछले सभी पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन की सिफारिश की थी। सरकार ने पुराने पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन में और सुधार करने के लिए एक आदेश जारी किया, जिसमें इसके बजाय फिटमेंट वेटेज @40% देने का प्रावधान था। इसके अलावा उनके द्वारा प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन और

1 जनवरी, 1996 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों पर लागू पेंशन में समानता लाने के लिए, सरकार ने आदेश जारी किए, जिसमें यह प्रावधान किया गया कि 1 जनवरी, 1996 से पहले के सभी पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की पेंशन को समेकित करने के बाद 1 जनवरी, 1996 से शुरू किए गए संशोधित वेतनमान के न्यूनतम 50%/30% तक बढ़ाया जाएगा, यदि पेंशन का समेकन 1 जनवरी, 1996 से शुरू किए गए संशोधित वेतनमान के 50% से कम पाया जाता है। मेजर जनरल के मामले में यह प्रावधान किया गया था कि अगर वे ब्रिगेडियर के रूप में सेवानिवृत्त होते तो किसी भी मामले में उनकी पेंशन उनके लिए स्वीकार्य से कम नहीं होती। यह कहा गया है कि मेजर जनरलों की पेंशन के समेकन की तुलना में यह शर्त अधिक फायदेमंद रही है। याचिकाकर्ताओं के मामले में संशोधित समानता का यह प्रावधान, यह कहा गया है, अधिक फायदेमंद था, इसलिए, उनकी पेंशन उचित रूप से रु। 9, 550 जो ब्रिगेडियर के पद के लिए स्वीकार्य से कम नहीं है। यह स्वीकार किया जाता है कि पांचवें वेतन आयोग ने रुपये के वेतनमान की सिफारिश की थी। 15,350-450-17,600 रुपये के रैंक वेतन के साथ। ब्रिगेडियर के लिए 2,400, जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है। हालांकि, नौसेना और वायु सेना में ब्रिगेडियर और समकक्ष रैंक के वेतनमान को बढ़ाकर रु। 16, 750-450-18,050 रुपये का रैंक वेतन। 2, 400। यह, यह कहा जाता है, ब्रिगेडियर i.e के पैमाने में मामूली अंतर के कारण आवश्यक था। एक लाख रु. 15,350-450-17,600 और कर्नल i.e के पद के लिए निर्धारित एक। एक लाख रु. 15,100-450-17,350 और इन रैंकों में वेतन निर्धारण का प्रभाव।

यह भी कहा गया है कि ब्रिगेडियर को रैंक वेतन प्रदान करने के माध्यम से प्रदान की गई वृद्धि को ऑफ-सेट करने के लिए, मेजर जनरल का वेतन निर्धारण विशेष सेना निर्देश ('संक्षिप्त में एसएटी) 2/एस/98 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। उक्त निर्देशों के खंड 9 के अनुसार 1 जनवरी, 1996 से पहले मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत सभी अधिकारियों के वेतन को कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन 1 जनवरी, 1996 को संशोधित वेतन में ब्रिगेडियर के लिए निर्धारित वेतन के बराबर बढ़ा दिया गया है। खंड 9 के नोट के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि वेतन में वृद्धि करते समय यदि समान स्तर मेजर जनरल के पद के वेतनमान में उपलब्ध नहीं था, तो वेतन निचले स्तर पर निर्धारित किया जाएगा और अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में अनुमति दी जाएगी जिसे भविष्य में वेतन वृद्धि में अवशोषित किया जाना था। यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी, 1996 के बाद रैंक में पदोन्नत मेजर जनरल के मामले में वेतन निर्धारण साई 2/एस/98 के खंड 12 (सी) के अनुसार किया गया था और जब एक ब्रिगेडियर को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है तो मेजर जनरल के वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन वेतन से ऊपर के स्तर पर तय किया जाता था, जिसमें ब्रिगेडियर के रूप में रैंक वेतन सहित उसके वेतन में प्रासंगिक स्तर पर संशोधित पैमाने में एक वृद्धि करके रैंक वेतन में वृद्धि की जाती थी। यह कहा गया है कि यह मौलिक नियम 22 (एल) (ए) का अनुप्रयोग है(1). उक्त प्रावधान के संदर्भ में मेजर जनरल का न्यूनतम वेतन रु। 19, 900 जब ब्रिगेडियर के पद से पदोन्नत किया गया। इस प्रकार वेतन निर्धारण सूत्र में यह कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया गया है कि संशोधित वेतनमान में

कोई भी मेजर जनरल कभी भी एक ही शाखा/सेवा से संबंधित ब्रिगेडियर से कम वेतन नहीं ले सकता है। यह कहा गया है कि 1996 से पहले के सभी पेंशनभोगियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 27 मई, 1998 (अनुलग्नक-आर. 1) और दिनांक 7 जून, 1999 (अनुलग्नक-आर. 2) के संदर्भ में संशोधित किया गया है, जैसा कि संशोधित किया गया है-28 अगस्त, 2001 के पत्र और भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 1987 (अनुलग्नक-आर. 3) और पत्र दिनांक 3 फरवरी, 1998 के पैरा 6 (बी) के तहत नोट। (Annexure-R-4)।

(4) यह भी कहा गया है कि अनुलग्नक-पी-1 में दिए गए याचिकाकर्ताओं के विवरण से ही पता चलता है कि 1 जनवरी, 1996 से पहले मेजर जनरल के पद के सभी पेंशनभोगियों की पेंशन रु। 9, 550 जो एक ब्रिगेडियर की पेंशन के बराबर है। इसलिए, किसी भी मामले में मेजर जनरल के पद के 1 जनवरी, 1996 से पहले के सेवानिवृत्त अधिकारी की पेंशन ब्रिगेडियर से कम नहीं है। इसी तरह, मेजर जनरल और समकक्ष रैंक के अधिकारी की पारिवारिक पेंशन उस पारिवारिक पेंशन से कम नहीं है जो ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को 28 अगस्त, 2001 के सरकारी निर्देशों के संदर्भ में स्वीकार्य होती। (Annexure-R.2)। मेजर जनरल और समकक्ष रैंक के अधिकारी की पारिवारिक पेंशन, यह प्रस्तुत की जाती है, उस पारिवारिक पेंशन से कम नहीं है जो ब्रिगेडियर या समकक्ष रैंक के अधिकारी के लिए स्वीकार्य है यदि उसे मेजर जनरल और समकक्ष रैंक पर पदोन्नत नहीं

किया गया था। यह भी कहा गया है कि किसी भी मामले में मेजर जनरल की पेंशन और पारिवारिक पेंशन ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी की पेंशन और पारिवारिक पेंशन से कम नहीं हो सकती है। तदनुसार यह प्रार्थना की जाती है कि याचिका को खारिज कर दिया जाए।

(5) याचिकाकर्ताओं ने प्रत्यर्थियों द्वारा दायर किया गया लिखित बयान जिसमें यह कहा गया है कि भले ही ब्रिगेडियर का पद धारण करने वाला कोई अधिकारी मेजर जनरल के रूप में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी के बराबर पेंशन प्राप्त कर रहा हो, यह विसंगति स्पष्ट और प्रिय है और यह पहलू स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कुछ मामलों में ब्रिगेडियर मेजर जनरलों की तुलना में अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। हालाँकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सरकारी आदेश i.e. के अनुसार। याचिकाकर्ता सं. सीडीए (पेंशन) इलाहाबाद के अधिकारी द्वारा जारी शुद्धिपत्र पीपीओ (अनुलग्नक-पी-5)। 1 किसी भी मामले में पेंशन 1 जनवरी, 1996 से शुरू किए गए वेतन के संशोधित पैमाने के 50% से कम नहीं होनी चाहिए। तदनुसार, पेंशन 1 जनवरी, 1996 से लागू संशोधित वेतनमान के आधार पर निर्धारित की जानी है।

(6) श्री R.S. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील रंधावा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को पेंशन और पारिवारिक पेंशन देने में एक बुनियादी विसंगति और विसंगति है, जो ब्रिगेडियर के पद पर आसीन अधिकारियों की तुलना में मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेजर जनरल का पद ब्रिगेडियर से ऊपर होता

है और इसलिए, एक मेजर जनरल को सशस्त्र बलों में वरिष्ठता के पदानुक्रम में ब्रिगेडियर के बराबर नहीं माना जा सकता है। वास्तव में ब्रिगेडियर के रैंक वेतन को उसके मूल वेतन में शामिल करने से उसे अधिक लाभ मिलता है। यह तर्क दिया जाता है कि मेजर जनरल के पद पर आसीन अधिकारियों के साथ ब्रिगेडियर के पद पर आसीन अधिकारियों की तुलना में एक बड़े पैमाने पर व्यवहार किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एसएआई 2/एस/98 के पैरा 12 (सी) के संदर्भ में, जब किसी ब्रिगेडियर को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति पर मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो मेजर जनरल के वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन उस वेतनमान से अगले स्तर पर तय किया जाना है, जिस पर ब्रिगेडियर के रूप में रैंक वेतन सहित उसके वेतन में प्रासंगिक स्तर पर संशोधित पैमाने में एक वृद्धि करके वृद्धि की जाती है। यह मौलिक नियम 22 (I) (a) का अनुप्रयोग है।(1). यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल यह तथ्य कि मेजर जनरल को ब्रिगेडियर के बराबर पेंशन और/या पारिवारिक पेंशन मिल रही है, पर्याप्त नहीं है और मेजर जनरल या समकक्ष रैंक वाले उच्च रैंक के अधिकारी ब्रिगेडियर के रैंक वाले अपने कनिष्ठों से उच्च पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं।

(7) श्री R.S. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील रंधावा ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को पेंशन और पारिवारिक पेंशन देने में एक बुनियादी विसंगति और विसंगति है, जो ब्रिगेडियर के पद पर आसीन अधिकारियों की तुलना में मेजर जनरल के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। यह प्रस्तुत किया

जाता है कि मेजर जनरल का पद ब्रिगेडियर से ऊपर होता है और इसलिए, एक मेजर जनरल को सशस्त्र बलों में वरिष्ठता के पदानुक्रम में ब्रिगेडियर के बराबर नहीं माना जा सकता है। वास्तव में ब्रिगेडियर के रैंक वेतन को उसके मूल वेतन में शामिल करने से उसे अधिक लाभ मिलता है। यह तर्क दिया जाता है कि मेजर जनरल के पद पर आसीन अधिकारियों के साथ ब्रिगेडियर के पद पर आसीन अधिकारियों की तुलना में एक बड़े पैमाने पर व्यवहार किया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एसएआई 2/एस/98 के पैरा 12 (सी) के संदर्भ में, जब किसी ब्रिगेडियर को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति पर मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो मेजर जनरल के वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन उस वेतनमान से अगले स्तर पर तय किया जाना है, जिस पर ब्रिगेडियर के रूप में रैंक वेतन सहित उसके वेतन में प्रासंगिक स्तर पर संशोधित पैमाने में एक वृद्धि करके वृद्धि की जाती है। यह मौलिक नियम 22 (I) (a) का अनुप्रयोग है।(1). यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल यह तथ्य कि मेजर जनरल को ब्रिगेडियर के बराबर पेंशन और/या पारिवारिक पेंशन मिल रही है, पर्याप्त नहीं है और मेजर जनरल या समकक्ष रैंक वाले उच्च रैंक के अधिकारी ब्रिगेडियर के रैंक वाले अपने कनिष्ठों से उच्च पेंशन/पारिवारिक पेंशन के हकदार हैं।

(8) हमने संबंधित विद्वान वकील की दलीलों पर विचारपूर्वक विचार किया है। इस याचिका में जिस मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या मेजर जनरल रैंक के सशस्त्र बलों के अधिकारी को दी जा रही पेंशन/पारिवारिक पेंशन ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के समान या समकक्ष



हो सकती है और क्या इसे समान होने की अनुमति देने से कोई विसंगति है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। पक्षकारों के अभिवचनों और संबंधित, विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों से, यह ध्यान रखना उपयुक्त है कि स्थिति यह है कि जो याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, वे 1 जनवरी, 1996 से पहले मेजर जनरल या उसके समकक्ष के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अनुदान में विसंगति 1 जनवरी, 1996 से उत्पन्न हुई है। भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय ने दिनांक 27 मई, 1998 (Annexure-R.1) को पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में पत्र जारी किया, जिसमें 1986 से पहले/1996 से पहले के सेवा पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन आदि सशस्त्र बलों के कमीशन प्राप्त अधिकारियों से संबंधित परिवार पेंशन। उक्त निर्देशों के संदर्भ में 1 जनवरी, 1996 से पूर्व 1986/पूर्व 1996 सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों/साधारण परिवार पेंशनभोगियों के संबंध में पेंशन/साधारण परिवार पेंशन के संशोधन के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी दी गई थी, जो 1 जनवरी, 1996 को उसमें उल्लिखित प्रकार की पेंशन प्राप्त कर रहे थे। दिनांक 7 जून, 1999 (अनुलग्नक-R.2) के अन्य निर्देशों में कमीशन प्राप्त अधिकारियों और अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के संबंध में पेंशन लाभों से संबंधित पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय को लागू करने का भी प्रावधान है। उक्त निर्देशों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया था कि 1 जनवरी, 1996 से सभी सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों की पेंशन, सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद, पेंशनभोगी द्वारा आयोजित रैंक और रैंक और समूह (पीबीओआर के मामले में) के संशोधित वेतनमान में

न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी। इसके अलावा, 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी परिवार पेंशन 1 जनवरी, 1996 से प्रभावी संशोधित पैमाने में न्यूनतम वेतन के 30% से कम नहीं होना था और रैंक और समूह (पीबीओआर के मामले में) अंतिम रूप से पेंशनभोगी/मृतक व्यक्ति द्वारा आयोजित किया गया था। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया था कि कुछ पूर्व निर्देशों में निहित प्रावधानों को उक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा।

(9) पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों और उस पर सरकार के निर्णय के आधार पर एसएआई 2/एस/98 के प्रासंगिक प्रावधानों को वेतनमान के संशोधन, संशोधित पैमाने में प्रारंभिक वेतन के निर्धारण और पदोन्नति पर वेतन के विनियमन के संबंध में लागू किया गया था। सेना के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य वेतन के मौजूदा पैमाने को 1 जनवरी, 1996 से संशोधित किया गया था और उक्त निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार संशोधित पैमाने में निर्धारित किया गया था, जो उन सभी अधिकारियों पर लागू थे जो 1 जनवरी, 1996 को सेना की प्रभावी संख्या पर थे और जो उसके बाद सेना में शामिल हुए थे। मूल वेतन, रैंक वेतन, मौजूदा पैमाने और संशोधित पैमाने को उक्त निर्देशों के पैरा 2 (ए) (बी) (सी) और (डी) में क्रमशः निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:—

(क) "मूल वेतन" से पद के वेतनमान में वेतन, यदि कोई हो तो ठहराव वृद्धि सहित, अभिप्रेत है। मूल वेतन में उड़ान भत्ता, योग्यता भत्ता, तकनीकी वेतन, व्यक्तिगत वेतन या किसी अन्य प्रकार का विशेष वेतन शामिल नहीं है।

(ख) "पद वेतन" से संशोधित पैमाने में वेतन के अतिरिक्त, कार्यवाहक या मूल क्षमता में, वास्तव में धारण किए गए पद के लिए उपयुक्त अधिकारी को स्वीकार्य वेतन अभिप्रेत है। रैंक वेतन मूल वेतन का हिस्सा है।

(ग) किसी अधिकारी के संबंध में विद्यमान स्केल से एकीकृत वेतनमान या 1.1.96 को उसके लिए लागू रैंक की निश्चित वेतन दर, चाहे वह मूल या कार्यवाहक क्षमता में हो, अभिप्रेत है। "(घ) एम. एन. एस. अधिकारियों सहित सभी शस्त्र और सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में "संशोधित स्केल" से इस निर्देश के पैराग्राफ 3 में प्रत्येक रैंक के खिलाफ उस रैंक का संबंधित वेतनमान, चाहे वह निश्चित हो या अन्यथा निर्दिष्ट हो, अभिप्रेत है।

(10) उक्त निर्देशों के संदर्भ में सभी हथियारों और सेवाओं के ब्रिगेडियर के पद तक के अधिकारियों को रु। 16700-450-18050। इसके अलावा, ब्रिगेडियरों को उपरोक्त वेतनमान में Rs.2400 का रैंक वेतन दिया गया था। मेजर जनरलों को रुपये का संशोधित पैमाना दिया गया था। 18400-500-22400। हालांकि, मेजर जनरलों को कोई रैंक वेतन नहीं दिया गया था। रैंक वेतन की परिभाषा के संदर्भ में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, मूल वेतन का हिस्सा बनना था। इस प्रकार, Rs.16,700 के न्यूनतम वेतनमान में, ब्रिगेडियर के रैंक वाले अधिकारियों के लिए Rs.2400 का रैंक वेतन जोड़ा गया और यह Rs.19,100 पर आता है और ब्रिगेडियर के रैंक वाले अधिकारियों का न्यूनतम मूल वेतन इस प्रकार मेजर जनरल के रैंक वाले अधिकारियों के न्यूनतम वेतनमान से अधिक हो गया जो रु। 18, 400। प्रत्यर्थियों का दृष्टिकोण यह है कि ब्रिगेडियरों को रैंक वेतन के रूप में प्रदान

की गई वृद्धि को ऑफ-सेट करने के लिए, मेजर जनरल का वेतन एसएआई 2/एस/98 के पैरा 9 के अनुसार किया गया है और 1 जनवरी, 1996 से पहले के सभी अधिकारियों के वेतन को 1 जनवरी, 1996 को संशोधित वेतन में एक ब्रिगेडियर के लिए निर्धारित वेतन के बराबर बढ़ाया गया है, बशर्ते कि निर्देशों के पैरा 9 में दर्शाई गई कुछ शर्तों को पूरा किया जाए। इसके अलावा, 1 जनवरी, 1996 के बाद उक्त रैंक पर पदोन्नत मेजर जनरल के संबंध में यह कहा गया है कि वेतन निर्धारण एसएआई 2/एस/98 के पैरा 12 (सी) के अनुसार किया जा रहा है। एसएआई 2/एस/98 के पैरा 9 और 12 (सी) निम्नानुसार हैं: -

**"1 जनवरी, 1996 के बाद ब्रिगेडियर से पदोन्नति पर प्रमुख जनरलों के भुगतान का कदम:**

9. 1 जनवरी, 1996 से पहले मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत सभी अधिकारियों के वेतन को 1 जनवरी, 1996 को वेतन के संशोधित पैमाने में ब्रिगेडियर के लिए निर्धारित वेतन के बराबर बढ़ाया जाएगा, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाए:- (क) (ख) (ग) वरिष्ठ और कनिष्ठ दोनों अधिकारी। एक ही शाखा/सेवा से संबंधित मेजर जनरल और ब्रिगेडियर।

वरिष्ठ अधिकारी अर्थात् मेजर जनरल के पास कनिष्ठ अधिकारी की तुलना में लंबी अवधि की कमीशन सेवा होती है। <■\ब्रिगेडियर जिनके संदर्भ में वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है।

ब्रिगेडियर के पद पर सेवा करते हुए 1 जनवरी, 1996 से पहले पदोन्नत मेजर जनरल वरिष्ठ रहे हैं और अधिकारी की तुलना में अधिक या समान वेतन भी प्राप्त कर रहे हैं। ब्रिगेडियर जिनके संदर्भ में वेतन प्रस्तावित है।

नोट 1-ऊपर के रूप में वेतन को बढ़ाते समय, यदि मेजर जनरल के पद के वेतनमान में समान चरण उपलब्ध नहीं है, तो वेतन निचले स्तर पर तय किया जाएगा और अंतर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में अनुमति दी जाएगी। व्यक्तिगत वेतन को भविष्य में वेतन वृद्धि में शामिल किया जाएगा।

नोट 2-जहां मेजर जनरल का वेतन उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार बढ़ाया गया है, वह वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से 12 महीने की योग्यता सेवा के पूरा होने पर अगली वृद्धि का हकदार होगा।

### **पदोन्नति पर भुगतान का विनियमन:**

12. पदोन्नति पर वेतन निम्नानुसार विनियमित किया जाएगा:-(क) xxxxxxxxxxxx (क) xxxxxxxxxxxx (ग) एम. एन. एस. सहित सभी हथियारों और सेवाओं के मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति।-जब एक ब्रिगेडियर को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो मेजर जनरल के वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन, ब्रिगेडियर के रूप में उसके वेतन में, रैंक वेतन सहित, प्रासंगिक स्तर पर संशोधित पैमाने में एक वृद्धि करके, अनुमानित रूप से प्राप्त वेतन के बाद के स्तर पर तय किया जाएगा। यह मौलिक नियम 22 (I) (a) (1) का अनुप्रयोग है।

(11) पेंशन के अनुदान में जो विसंगति हुई है, वह रुपये के रैंक वेतन को शामिल करके वेतन के निर्धारण के कारण है। ब्रिगेडियर के मूल वेतन में वेतनमान में 2,400 और मेजर जनरल के पद पर आसीन अधिकारियों के लिए कोई रैंक वेतन प्रदान नहीं किया जाता है। 1 जनवरी, 1996 से पहले मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत अधिकारियों के वेतन को 1 जनवरी, 1996 को संशोधित पैमाने में ब्रिगेडियर के वेतन के बराबर बढ़ा दिया गया है। मान लीजिए, मेजर जनरल एक ब्रिगेडियर की तुलना में एक उच्च पद है और इसलिए, मेजर जनरल किसी भी तर्क के आधार पर एक ब्रिगेडियर से अधिक वेतनमान का हकदार है। वास्तव में एसएआई 2/एस/98 के पैरा 12 (सी) में ही यह परिकल्पना की गई है कि जब किसी ब्रिगेडियर को मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया जाता है तो मेजर जनरल के वेतनमान में उसका प्रारंभिक वेतन, ब्रिगेडियर के रूप में रैंक वेतन सहित उसके वेतन में प्रासंगिक स्तर पर संशोधित पैमाने में एक वृद्धि करके अनुमानित रूप से प्राप्त वेतनमान से अगले स्तर पर तय किया जाना है। यह कहा गया है कि यह मौलिक नियम 22 (I) (a) (1) का अनुप्रयोग है जो इस प्रकार है:- "F.R. 22. (I) एक सरकारी कर्मचारी का प्रारंभिक वेतन, जिसे वेतन के समय-पैमाने पर एक पद पर नियुक्त किया जाता है, निम्नानुसार विनियमित किया जाता है:- (क) (1) जहां किसी कार्यकाल के पद से भिन्न पद धारण करने वाले किसी सरकारी कर्मचारी को, यथास्थिति, मूल या अस्थायी या कार्यवाहक क्षमता में, प्रासंगिक भर्ती नियमों में यथा विहित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, उसके द्वारा धारण किए गए पद से संलग्न लोगों की तुलना में अधिक आय के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को धारण

करने वाले किसी अन्य पद पर, मूल, अस्थायी या कार्यवाहक क्षमता में पदोन्नत या नियुक्त किया जाता है, वहां उच्च पद के समय-पैमाने पर उसका प्रारंभिक वेतन, उसके द्वारा धारण किए गए निचले पद के संबंध में उसके वेतन में नियमित रूप से वृद्धि करके, उस स्तर पर वृद्धि करके तय किया जाएगा, जिस पर ऐसा वेतन अर्जित हुआ है या केवल एक सौ रुपये, जो भी अधिक हो। किसी भूतपूर्व संवर्ग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर या तदर्थ आधार पर या प्रत्यक्ष भर्ती के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति के मामलों को छोड़कर, सरकारी कर्मचारी के पास, यथास्थिति, पदोन्नति या नियुक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर ऐसी पदोन्नति या नियुक्ति की तारीख से इस नियम के तहत वेतन निर्धारित करने या नए पद के वेतनमान के समय-स्तर के स्तर पर प्रारंभ में वेतन निर्धारित करने का विकल्प होगा, जो उस निम्न श्रेणी या पद में, जिससे उसे नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है, जो इस नियम के अनुसार निम्न श्रेणी या पद के वेतनमान में अगली वृद्धि के संचय की तारीख को फिर से निर्धारित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में जहां एक तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी विराम के नियमित नियुक्ति की जाती है, प्रारंभिक नियुक्ति/पदोन्नति की तारीख से विकल्प स्वीकार्य है, जिसका उपयोग इस तरह की नियमित नियुक्ति की तारीख से एक महीने के भीतर किया जाना है:

विशेषाधिकार है कि जहां कोई सरकारी कर्मचारी, नियमित रूप से उच्च पद पर अपनी पदोन्नति या नियुक्ति से ठीक पहले, निम्न पद के अधिकतम समय-पैमाने पर वेतन प्राप्त कर रहा है, वहां उच्च पद के समय-पैमाने में

उसका प्रारंभिक वेतन उपरोक्त स्तर पर तय किया जाएगा, यह वेतन उसके द्वारा नियमित रूप से धारण किए गए निम्न पद के संबंध में उसके वेतन में निम्न पद के समय-पैमाने में अंतिम वृद्धि के बराबर राशि या एक सौ रुपये, जो भी अधिक हो, की वृद्धि से अनुमानित रूप से प्राप्त होगा।

(12) उपर्युक्त मूल नियम के संदर्भ में, किसी कर्मचारी द्वारा धारण किए गए पद से जुड़े कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को वहन करने वाले किसी अन्य पद पर पदोन्नति, उच्च पद के समय पैमाने में उसका प्रारंभिक वेतन, उसके द्वारा धारण किए गए निचले पद के संबंध में उसके वेतन में नियमित रूप से वृद्धि करके अनुमानित वेतन के बाद के स्तर पर निर्धारित किया जाना है। 100 जो भी अधिक हो। मेजर जनरल का पद ब्रिगेडियर के पद से जुड़े लोगों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने वाला पद है। ब्रिगेडियर के पद की तुलना में मेजर जनरल के पद के महत्व को उजागर करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है क्योंकि मेजर जनरल का पद निस्संदेह ब्रिगेडियर की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का वहन करने वाला पद है। इसलिए, उच्च पद के समय पैमाने में प्रारंभिक वेतन उस स्तर पर तय किया जाना है जो मेजर जनरल के पद पर आसीन अधिकारियों के वेतन में उनके द्वारा नियमित रूप से रखे गए निचले पद के संबंध में वृद्धि करके अनुमानित वेतन के बाद आता है। 100 जो भी अधिक हो। एयर वाइस मार्शल S.N के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच का निर्णय। उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा उद्धृत चतुर्वेदी बनाम भारत संघ और अन्य



(उपर्युक्त) पर ध्यान दिया जा सकता है। उक्त निर्णय की प्रस्तावना उन याचिकाकर्ताओं के मामले का सारांश देती है जो सशस्त्र बलों में मेजर जनरल या समकक्ष के वरिष्ठ पद पर थे। प्रस्तावना इस प्रकार है: -

उन्होंने कहा, "नौकरशाही के रवैये की ताकत वर्तमान मामले में स्पष्ट रूप से स्पष्ट है। हमें यह बताते हुए खेद है कि सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने देश के लिए सराहनीय सेवा प्रदान की है, उन्हें अदालत में भेजा गया है ताकि उनके साथ किए गए स्पष्ट अन्याय के खिलाफ निवारण की मांग की जा सके।

(13) उक्त मामले में, याचिकाकर्ता 1 जनवरी 1986 को भारतीय वायु सेना में एयर वाइस मार्शल के रूप में कार्यरत था। उक्त मामले में, याचिकाकर्ता ने 1 जनवरी को उस तारीख को वेतन रुपये निर्धारित किया था। 5, 900। उनके दो कनिष्ठ अधिकारी थे और 1 जनवरी, 1986 से पहले उन्हें उक्त याचिकाकर्ता की तुलना में कम वेतन मिल रहा था। चौथे वेतन आयोग की रिपोर्ट को 1 जनवरी, 1986 से केंद्र सरकार के एक निर्णय द्वारा प्रभावी किया गया था। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता का वेतन रुपये निर्धारित किया गया था। जबकि दो जूनियर अधिकारियों के लिए 5,900 रुपये तय किए गए थे। 6, 150। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 26 मई, 1987 के विशेष वायु सेना के निर्देशों के प्रावधानों के आलोक में मामले पर विचार किया और इसके खंड 9 के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया था कि ऐसे मामलों में जहां एक जनवरी, 1986 से पहले उच्च पद पर पदोन्नत एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ की तुलना में संशोधित पैमाने

में कम वेतन प्राप्त करता है, जिसे 1 जनवरी, 1986 को या उसके बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, वरिष्ठ के वेतन को उस उच्च पद पर अपने कनिष्ठ के लिए निर्धारित वेतन के बराबर राशि तक बढ़ाया जाना चाहिए। यह कदम कनिष्ठ अधिकारी की पदोन्नति की तारीख से प्रभावी होना था और इसमें उल्लिखित कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन था। यह देखा गया कि दिनांक 26 मई, 1987 के निर्देशों के अनुसार अपने वेतन के निर्धारण के परिणामस्वरूप एयर कमोडोर रैंक के दो अधिकारियों को उक्त मामले में याचिकाकर्ता की तुलना में अधिक वेतन मिल रहा था। एयर कमोडोर अदलखा में से एक को 1 अगस्त, 1988 से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया था और तब उनका वेतन रु। 6, 500। दिनांक 26 मई, 1987 के निर्देशों के खंड 9 को लागू करके उक्त मामले में याचिकाकर्ता का वेतन बढ़ाकर रु। 1 अगस्त, 1988 से प्रभावी 6,500 रुपये। उसमें याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि 1 जनवरी, 1986 से 1 अगस्त, 1988 के बीच वह वेतन प्राप्त कर रहा था जो उसके कनिष्ठ अधिकारियों से कम था और उसके वेतन में केवल इसलिए वृद्धि की गई थी क्योंकि उसके कनिष्ठ अधिकारी को उसमें याचिकाकर्ता के समान पद पर पदोन्नत किया गया था। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1 जनवरी, 1986 से याचिकाकर्ता का वेतन निर्धारित करते समय हुई विसंगति को दूर नहीं करने का सरकार का निर्णय स्पष्ट रूप से मनमाना और बिना किसी उचित आधार के था। इसके अलावा, यह देखा गया कि यह एक स्वीकृत सिद्धांत है कि एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों को उनके कनिष्ठ को मिलने

वाले वेतन से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए और जो निर्देश जारी किए गए थे, उनमें स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने का ध्यान रखा गया था कि समान रैंक के अधिकारियों के साथ इस अर्थ में भेदभाव न किया जाए कि कनिष्ठ अधिकारी को उनके वरिष्ठ से अधिक वेतन नहीं मिलता है। हालांकि, यह तर्क, जो तार्किक और वैध था, यह देखा गया कि इसे ऐसे मामले तक विस्तारित नहीं किया गया था जहां दोनों अधिकारियों के रैंक अलग-अलग थे। उनके लॉर्डशिप्स ने देखा कि वे यह समझने में विफल रहे कि ऐसा क्यों था। इसके अलावा, यह देखा गया कि यदि एयर कमांडोर अदलखा को एयर वाइस-मार्शल के पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो उसमें याचिकाकर्ता का वेतन एयर वाइस-मार्शल अदलखा से कम नहीं हो सकता है। वास्तव में, इस बात का कोई कारण नहीं था कि उक्त याचिका का वेतन कम क्यों होना चाहिए था, जबकि श्री अदलखा को एयर कमांडोर के पद से पदोन्नत नहीं किया गया था। इसके अलावा, यदि उसमें याचिकाकर्ता को 1 जनवरी, 1986 से पहले एयर वाइस-मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया होता, तो उसे एयर कमांडोर के रूप में एयर कमांडोर अदलखा की तुलना में अधिक वेतन मिलता, जबकि वह एयर कमांडोर के समान पद पर होता और उसे 1 जनवरी, 1986 से एयर मार्शल के रूप में जो निर्धारित किया गया था, उससे अधिक मिलता रहता। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1 जनवरी, 1986 से उसमें याचिकाकर्ता के वेतन को संशोधित नहीं करने में प्रतिवादियों का रुख. एयर कमांडोर के वेतन से कम नहीं होना, बिना किसी आधार या कारण के था और अनुचित था। उसमें रिट याचिका को अनुमति दी गई और 1 जनवरी, 1986 से

याचिकाकर्ता का वेतन निर्धारित करने के लिए एक निर्देश जारी किया गया। 6, 510 वेतन जो जूनियर एयर कमोडोर को दिया जा रहा था और फिर याचिकाकर्ता के वेतन को संशोधित करके रु। 31 मई, 1986 से प्रभावी 6,300, जो कनिष्ठों के लिए निर्धारित किया गया था और आगे इसके परिणामी निर्धारण। इसलिए, उक्त निर्णय, जो विशेष वायु सेना निर्देश के खंड 9 की व्याख्या पर आधारित है, उच्च पद पर कनिष्ठ के लिए निर्धारित वेतन के बराबर राशि के लिए वेतन बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया है। इस तरह की संभावना वर्तमान एसएआई/2/एस/98 के पैरा 7 के संदर्भ में प्रदान की गई है, जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी के वेतन को बढ़ाने की परिकल्पना की गई है, यदि 1 जनवरी, 1996 के बाद पदोन्नत किसी कनिष्ठ को अधिक वेतन मिलता है। हाथ में मामले में, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, ऊपर निर्दिष्ट एसएआई 2/एस/98 के पैरा 9 (सी) में मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति पर प्रारंभिक वेतन के विनियमन और निर्धारण का प्रावधान है। इसके अलावा, यह मौलिक नियम 22 (I) (a) (1) का अनुप्रयोग होने का संकेत दिया गया है, जिसमें यह उपबंध किया गया है कि किसी अधिकारी द्वारा धारण किए गए पद से संलग्न लोगों की तुलना में अधिक महत्व के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को धारण करने वाले किसी अन्य पद पर मूल, अस्थायी या कार्यवाहक क्षमता में पदोन्नति या नियुक्ति की स्थिति में, उच्च पद के समयमान में उसका प्रारंभिक वेतन, उसके द्वारा धारण किए गए निचले पद के संबंध में उसके वेतन में नियमित रूप से वृद्धि करके अनुमानित वेतन से अगले स्तर पर तय किया जाना है। केवल 100 जो कभी अधिक था। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि

एसएआई 2/एस/98 के खंड 9 के शीर्ष में 1 जनवरी, 1996 के बाद ब्रिगेडियर से पदोन्नति पर मेजर जनरल के वेतन को बढ़ाने का प्रावधान है, जबकि खंड में ही कहा गया है कि 1 जनवरी, 1996 से पहले मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत सभी अधिकारियों के वेतन को 1 जनवरी, 1996 को वेतन के संशोधित पैमाने में ब्रिगेडियर के लिए निर्धारित वेतन तक बढ़ाया जाएगा, खंड 12 (सी) धारा III के तहत है जो "1 जनवरी, 1996 को या उसके बाद कमीशन किए गए अधिकारियों के वेतन का विनियमन" के लिए प्रावधान करता है। खंड 9 धारा II के तहत आता है जो 1 जनवरी, 1996 से पहले कमीशन प्राप्त अधिकारियों के वेतन के निर्धारण और विनियमन के लिए प्रावधान करता है। इसलिए, खंड 9 के ऊपर मुख्य टिप्पणी 1 जनवरी, 1996 के बाद ब्रिगेडियर से पदोन्नति पर मेजर जनरल के वेतन में वृद्धि से संबंधित है। अतः भारतीय खेल प्राधिकरण 2/धारा/98 का खंड 9 उस मामले पर लागू होगा और 1 जनवरी, 1996 से पूर्व मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किए गए सभी अधिकारियों के वेतन को कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन 1 जनवरी, 1996 को वेतन के संशोधित पैमाने में ब्रिगेडियर के लिए निर्धारित वेतन के बराबर बढ़ाया जाना है। इसके अलावा, मेजर जनरल के वेतनमान को ब्रिगेडियर के रूप में रैंक वेतन सहित संबंधित स्तर पर संशोधित पैमाने में एक वृद्धि द्वारा उनके वेतन में वृद्धि करके अनुमानित रूप से प्राप्त वेतन से ऊपर के स्तर पर तय किया जाना है। यह मौलिक नियम 22 (I) (a) के अनुरूप है और इसका अनुप्रयोग है।(1). अन्यथा भी मामले की परिस्थितियों में 1 जनवरी, 1996 से पहले और बाद में मेजर जनरल के पद पर आसीन अधिकारियों के लिए

1 जनवरी, 1996 की कट-ऑफ तिथि उचित नहीं है और मनमाना है। वर्तमान ऐसा मामला नहीं है जहां एक नया उदार पेंशन फॉर्मूला लागू किया जाना है, जिस मामले में, कट-ऑफ तिथि की वैधता का उद्देश्य प्राप्त करने के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन वर्तमान एक विसंगति को दूर करने का मामला है। यह ध्यान रखना उचित है कि 7 जून, 1999 को सरकार द्वारा जारी निर्देशों (अनुलग्नक-R.2) के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि 1 जनवरी, 1996 से सभी सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों की पेंशन, सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद, पेंशनभोगियों द्वारा रखे गए रैंक और रैंक और समूह (पीबीओआर के मामले में) के संशोधित वेतनमान में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगी। उसी का प्रभाव यह है कि सभी अधिकारी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद समान पेंशन प्राप्त करेंगे, जो 1 जनवरी, 1996 से शुरू किए गए वेतन के संशोधित पैमाने में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं होगा। संशोधित पैमाने को एमएनएस अधिकारियों सहित सभी हथियारों और सेवाओं के अधिकारियों के संबंध में एसएआई 2/एस/98 के खंड 2 (डी) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ निर्देशों के पैराग्राफ 3 में प्रत्येक रैंक के खिलाफ निर्धारित या अन्यथा निर्दिष्ट रैंक के संबंधित वेतनमान से है। ब्रिगेडियर का न्यूनतम वेतनमान रु। 16, 700 रुपये का रैंक वेतन। जबकि मेजर जनरल का न्यूनतम वेतन 2,400 रुपये है। 18, 400 जो ब्रिगेडियर के आधार वेतन से कम है क्योंकि रैंक वेतन एसएआई/2/एस/98 के खंड 2 (बी) के संदर्भ में मूल वेतन का हिस्सा है। इसलिए, जब सेवानिवृत्ति की तिथि के बावजूद सभी रैंकों के लिए वेतन निर्धारित किया जाता है, तो 1 जनवरी, 1996 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों

और जनवरी, 1996 के सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना आवश्यक होगा। भारतीय स्टेट बैंक बनाम एल. कन्नैया और अन्य में, (2) उसमें उत्तरदाता जिन्होंने सिपाही के रूप में सेना में सेवा की थी और सुरक्षा गार्ड के रूप में भारतीय स्टेट बैंक की सेवा में शामिल हुए थे, उन्होंने उन्हें भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी पेंशन निधि के लाभों में प्रवेश देने और पेंशन का भुगतान करने के लिए निर्देश देने की मांग की। उनकी पेंशन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उनकी आयु 1 जनवरी, 1965 को 35 वर्ष से अधिक हो गई थी। आयु सीमा को बाद में बढ़ाकर 38 वर्ष कर दिया गया। इसमें उत्तरदाताओं की पुष्टि की तारीख पहले 1 जनवरी, 1965 यानी i.e थी। उपर्युक्त पेंशन निधि में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण तिथि। उक्त तिथि पर, बैंक में पुष्टि किए गए कर्मचारियों की आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी। यह पेंशन निधि नियमों के साथ पठित 8 अप्रैल, 1974 के कर्मचारी परिपत्र का संयुक्त प्रभाव था। 35 या 38 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित करने का कारण इस उद्देश्य के लिए प्रतीत होता है कि कर्मचारी 20 वर्ष की न्यूनतम सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे जैसा कि पेंशन निधि नियमों द्वारा विचार किया गया था। तथापि, यह अभिनिर्धारित किया गया कि बैंक सेवा में पूर्व पुष्टि के होते हुए भी कट-ऑफ तिथि 1 जनवरी, 1965 निर्धारित करने के लिए कोई तर्कसंगत या स्पष्ट आधार प्रतीत नहीं होता है। यह निम्नलिखित रूप में देखा गया:- "यह सच है कि पूर्व सैनिकों को एक नया लाभ प्रदान किया गया है और इसलिए, D.S. में निर्णय के अनुपात को आहत किए बिना, इस नए लाभ को बढ़ाने के लिए एक कट-

ऑफ तिथि तय की जा सकती है। नाका बनाम भारत संघ, ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 130 लेकिन, ऐसी तारीख तय करने में कोई मनमानेपन या तर्कहीनता नहीं हो सकती थी। न्यूनतम अर्हता सेवा आवश्यक विचार होने के कारण, यहां तक कि बैंक के अनुसार, ऐसा कोई कारण नहीं है कि उत्तरदाताओं जैसे पूर्व-सैनिक, जिन्होंने अपनी पुष्टि की तारीख से बीस साल से अधिक की सेवा की है, यहां तक कि सेवानिवृत्ति की आयु को 58 के रूप में लेते हुए, को बाहर रखा जाना चाहिए। उक्त तिथि चुनने के लिए बैंक द्वारा दायर जवाबी-हलफनामे में कोई कारण नहीं बताया गया है। जब पेंशन प्राप्त करने वाले पूर्व सैनिकों को पेंशन लाभ देने का निर्णय लिया जाता है, तो कुछ सेवारत कर्मचारियों को लाभ से वंचित करना तर्कसंगत और समझदार मानदंड पर आधारित होना चाहिए। वास्तव में, यह उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण है और हम उस दृष्टिकोण से भिन्न होने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

(14) इसलिए, जब 1 जनवरी 1996 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों और 1 जनवरी, 1996 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के लिए एक वेतनमान निर्धारित किया जाता है, तो वेतनमान का निर्धारण किया जाता है। इसलिए, जब 1 जनवरी से पहले एक वेतनमान निर्धारित किया जाता है, तो मेजर जनरल पेंशन के निर्धारण के उद्देश्य से एक ब्रिगेडियर के बराबर नहीं हो सकता है और एक ब्रिगेडियर को उच्च वेतनमान i.e दिया गया है। न्यूनतम वेतन रु। 19, 100 एक मेजर जनरल i.e की तुलना में। एक लाख रु. 18, 400, तो मेजर जनरल को केवल ब्रिगेडियर के बराबर वेतन बढ़ाकर ब्रिगेडियर के



बराबर नहीं किया जा सकता है और उसे मौलिक नियम 22 (I) (a) में सिद्धांत को लागू करके ब्रिगेडियर से ऊपर का पैमाना दिया जाना है। (1) जो सेवानिवृत्ति की तिथि के बावजूद लागू होता है और ब्रिगेडियर के पद से जुड़े लोगों की तुलना में अधिक महत्व के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाने वाले पद पर लागू होता है। इसलिए, ब्रिगेडियर के पद से मेजर जनरल के पद पर पदोन्नति पर मेजर जनरल का प्रारंभिक वेतन ब्रिगेडियर के रूप में रैंक वेतन सहित उनके वेतन में एक वृद्धि करके अनुमानित रूप से प्राप्त वेतन से अगले स्तर पर तय किया जाना है। 1 जनवरी, 1996 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को समान लाभ नहीं देना मनमाना होगा। यह कारण है कि 1 जनवरी, 1996 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के पद का वेतन पेंशनभोगी द्वारा 1 जनवरी, 1996 से लागू किए गए वेतन के संशोधित पैमाने में न्यूनतम वेतन के 50% से कम नहीं निर्धारित किया गया है और इसका प्रभाव यह है कि सभी पेंशनभोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के बावजूद वेतनमान दिया जाना है जो संशोधित पैमाने में न्यूनतम पैमाने के 50% से कम नहीं है। नियम की शाब्दिक व्याख्या निम्नलिखित तरीके से सामने आती है:—

रैंक	पे	पेंशन 50% वेतन
ब्रिगेडियर	19100/2.	9550
मेजर जनरल	18400/2.	9200
लेफ्टिनेंट जनरल	22400/2.	11200

पांचवें वेतन आयोग के अनुसार, रुपये के पैमाने में तय किया गया।  
22400-525-24500 "। जनरलों को आरएस के पैमाने में तय किया गया  
है। 22400-525-24500।

(15) इसलिए लेफ्टिनेंट जनरल के पद के लिए मेजर जनरल से अधिक वेतन और पेंशन का प्रावधान होने के कारण मेजर जनरल को ब्रिगेडियर से अधिक वेतन और पेंशन न मिलने का कोई कारण नहीं है, यहां तक कि 1 जनवरी, 1996 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के मामले में भी और उन्हें ब्रिगेडियर से अधिक वेतन और पेंशन न देने का कोई कारण नहीं है।

(16) पूर्वगामी कारणों से, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और प्रत्यर्थियों को ब्रिगेडियर से ऊपर मेजर जनरल का न्यूनतम वेतनमान निर्धारित करने और ब्रिगेडियर से ऊपर वेतन देने का निर्देश दिया जाता है जैसा कि 1 जनवरी, 1996 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के मामले में किया गया है और इसके परिणामस्वरूप पेंशन और पारिवारिक पेंशन तदनुसार निर्धारित की जाती है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

**अभिस्वीकृति-** स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इससे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

**अनुराग यादव**

**प्रसिक्षु न्यायिक अधिकारी**

**(TraineeJudicialofficer)**

नारनौल, हरियाणा